

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगंगानगर

रामस्वरूप बनाम बिहारीराम आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92ए राज0 काश्तकारी अधि0

प्रकरण संख्या :- 624/2022

प्रकरण संख्या (GCMS) :- 2022/268

14.06.2022 यह पत्रावली वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये वकील श्री मदन ज्याणी के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरजीत सिंह थिन्द उपस्थित। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब हेतु एवं शेष की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 11.07.2022 को पेश हो।

27.6.22 वादी वकील के द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करने पर यह पत्रावली आज पेश की गयी वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद में वर्णित इतरागत श्री विमिर्षित अनुपालना काबू माननीय जज Court में वाद पेश किया जा चुका है। इसलिए इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। जोप्प्रेस के आदेश पर खरिफ किया जावे/अवबो कर लिया गया। निवेदन स्वीकार करते हुए यह वाद पत्र जोप्प्रेस के आदेश पर इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली वाद तबतीब तबतीब डोकल दालिन ब.पकल हरे।

(अभिलेख)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना